व्यापक प्रचार–प्रसार
हेतु प्रकाशनार्थ सामग्री

प्रति,

(1) **माननीय मुख्यमंत्री महोदय,**
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(2) **माननीय मंत्री महोदय,**
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
. . . . . .
. . . . . .

विषय :– **जैन पर्व – "पर्यूषण पर्व" के प्रसंग पर 10 दिनों तक पशुवध गृह (बूचड़खाने) बन्द रखने एवं मांस विक्रय की दुकानें भी बन्द रखे जाने के संबंध में ।**

मान्यवर,

(1) देश के **उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली** के **न्यायमूर्ति श्री एच. के. सेमा** एवं **श्री मार्कण्डेय काटजू** ने **14 मार्च, 2008** को **"हिंसा विरोधक संघ** विरुद्ध **मिर्जापुर मोती कुरैश जमात एवं अन्य" (सिविल अपील नं. 5469, 5470, 5472, 5474, 5476, 5478, 5479–80–81/2005)** के संबंध में 36 पृष्ठीय ऐतिहासिक फैसला सुनाया था । यह फैसला उच्चतम न्यायालय की बेवसाइट– www.supremecourtofindia.nic.in तथा WWW.JUDIS.NIC.IN पर एवं All India Reporter (AIR) - July, 2008 - Supreme Court,1892 S.C. - S.C. 1903 पर भी उपलब्ध है । इस फैसले में जैन पर्व **"पर्यूषण पर्व"** के 9 दिनों के लिए पशुवध गृह एवं मांस की दुकानों को बंद करने हेतु अहमदाबाद नगर निगम द्वारा लगाये गये प्रतिबंध को उचित माना था । अतः गुजरात हाईकोर्ट (सिविल अपील नं. 6329/1988,दिनांक 22–06–2005) के द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्णय को उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने पलट कर गुजरात सरकार के द्वारा जैनों के विशिष्ट पर्व **"पर्यूषण पर्व"** के दिनों में 9 दिनों के लिए पशुवध एवं मांस विक्रय की दुकानों को बंद करना उचित माना था ।

(2) **बिहार सरकार** के **गृह (विशेष) विभाग** के **उप सचिव** के द्वारा **पत्र संख्या– सी/जे.ए.–5501/08–8984, पटना, दिनांक 29 अगस्त, 08** में प्रदेशस्थ सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश प्रदान किया था कि जैनों का त्यौहार दिनांक 04 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2008 तक मनाया जाएगा । अतएव जैन त्यौहार के अवसर पर याचित आवेदन के आलोक में यथोचित कार्रवाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

(3) इस सम्बन्ध में **राजस्थान सरकार** के **स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर** के **सचिव** के द्वारा जैन धर्म के **"पर्यूषण पर्व"** के 9 दिनों को **"अहिंसा दिवस"** घोषित किया था । **शासनादेश क्रमांक प. 24 (ग) (13)/नियम/डीएलबी/89/5135–5330, दिनांक 30–08–2008** में भाद्रपद शुक्ल 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14 एवं आसौज कृष्ण 1 वि. सं. 2065 के 9 दिनों तक राज्य के सभी बूचड़खाने एवं मांस–मछली की सभी दुकानें बंद रखे जाने का आदेश निर्गमित किया था ।

(4) जैन–धर्म के दिगम्बर जैन समुदाय एवं श्वेताम्बर जैन समुदाय के भी अनेक व्यक्तियों, संस्थाओं, जन–प्रतिनिधियों, विधायकों एवं सांसदों आदि के द्वारा दोनों ही समुदायों के द्वारा अपनी–अपनी परम्पराओं में मान्य तिथियों में पर्यूषण पर्व के अति पावन प्रसंग पर प्रदेशस्थ सभी बूचड़खाने एवं मांस विक्रय की दुकानें बंद रखे जाने हेतु माँग की जाती रही है ।

निरन्तर.....

(5) चूँकि वर्ष 2009 में जहाँ श्वेताम्बर जैन समुदाय के द्वारा 17 से 24 अगस्त, 2009 तक के दिनों में पर्यूषण पर्व के 8 दिनों तक धार्मिक समायोजन सम्पन्न किया गया, वहीं दिगम्बर जैन समुदाय द्वारा 24 अगस्त से 4 सितम्बर, 2009 तक पर्यूषण पर्व के 12 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान किया था ।

(6) इस सम्बन्ध में **राजस्थान शासन** के **निदेशालय – स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर** के **उप शासन सचिव** के द्वारा श्वेताम्बर जैन समुदाय के द्वारा पर्यूषण पर्व के 8 दिनों यानि 17 से 24 अगस्त, 09 तक के लिये राज्य के समस्त बूचड़खाने एवं मांस–मछली की दुकानों को बंद रखे जाने हेतु प्रथमतः **समसंख्यक पत्रांक क्रमांक प. 24 (ग) (13)/नियम/डीएलबी/89/पार्ट–IIए 438–625, दिनांक 22–07–2009** प्रसारित किया था ।

(7) तत्पश्चात् दिगम्बर जैन समुदाय की माँग/भावनाओं को भी दृष्टि में रखकर इस समुदाय द्वारा **पर्यूषण पर्व (दशलक्षण पर्व)** के वर्ष 2009 के बारह दिनों यानि 24 अगस्त से 04 सितम्बर, 2009 तक राजस्थान राज्य के समस्त बूचड़खाने एवं मांस–मछली की दुकानों को बंद रखे जाने हेतु **राजस्थान शासन** के **निदेशालय– स्थानीय शासन निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर** के **उप शासन सचिव** द्वारा दिनांक **28–07–2009** को **पत्र क्रमांक प .24 (ग) (13)/नियम/डीएलबी/89/पार्ट–II, 647–735** आदेश निर्गमित किया था ।

(8) अतएव इस आंशिक संशोधित आदेश के अनुसार दोनों ही जैन समुदायों द्वारा मान्य अपनी–अपनी तिथियों में पर्यूषण पर्व संबंधी कुल 19 दिनों हेतु 17 अगस्त से 04 सितम्बर, 2009 तक राजस्थान प्रदेश में स्थित समस्त बूचड़खाने एवं मांस–मछली विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने के आदेश वर्ष 2009 में प्रसारित किए गए थे ।

(9) **छत्तीसगढ़ शासन** के **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**, **दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर** के **अवर सचिव** द्वारा **क्र. 4124/4189/18/2006, रायपुर, दिनांक 12–08–2009** को जैन पर्यूषण पर्व के अवसर पर भाद्रपद वदी द्वादस से भाद्रपद सुदी चतुर्थी तक के 8 दिवसों तक पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें बंद रखे जाने एवं इस शासनादेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के समस्त कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को जारी किया गया था ।

(10) माननीय महोदय से निवेदन है कि **सुप्रीम कोर्ट** के द्वारा प्रदत्त उपरिलिखित फैसले के परिप्रेक्ष्य में तथा **बिहार राज्य शासन, राजस्थान राज्य शासन** एवं **छत्तीसगढ़ राज्य शासन** के द्वारा निर्गमित विभिन्न शासनादेशों के समान ही इस वर्ष के **पर्यूषण पर्व – द्वितीय भाद्रपद सुदी चतुर्थी से द्वितीय भाद्रपद सुदी चतुर्दशी** तक यानी **19 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2012** तक के दिनों में तथा आगामी प्रत्येक वर्ष के लिए भी **इन्हीं तिथियों** हेतु (तिथियों के आधार पर तत्कालील वर्ष के दिनांकों का निर्धारण कराकर) प्रदेश में स्थायी शासनादेश जारी करके **पर्यूषण पर्व के 11 दिनों को "अहिंसा दिवस"** घोषित कर उन दिवसों में राज्य के सभी बूचड़खाने, मांस विक्रय केन्द्रों को बंद करने का आदेश प्रसारित किया जाये ।

(11) इस सम्बन्ध में आपके द्वारा वर्ष 2012 के पर्यूषण पर्व के उक्त 10 दिनों तक एवं आगामी प्रत्येक वर्ष हेतु स्थायी शासनादेश अतिशीघ्र प्रसारित कर आदेश की एक प्रति हमें प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ऐसा आपसे निवेदन है ।

धन्यवाद !

संलग्न :–

1. सुप्रीम कोर्ट का उपरिलिखित फैसला ।
2. बिहार शासन के शासनादेश की छाया प्रति ।
3. राजस्थान शासन के स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा निर्गमित आदेशों की एक–एक छाया प्रतियाँ ।
4. छत्तीसगढ़ शासन के शासनादेश की छाया प्रति ।

भवदीय

सम्मानीय !

जैनधर्म में **'पर्यूषण पर्व'** का अत्यधिक महत्त्व है । इसी की महत्ता को दृष्टि में रखकर 'अहिंसा परमो धर्मः' के मूल सिद्धान्त को पल्लवित करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा **'पर्यूषण पर्व'** के दिनों में बूचड़खाने एवं मांस–मछली के विक्रय को बंद रखने हेतु समय–समय पर आदेश प्रसारित किये जाते रहे हैं ।

पहले गुजरात राज्य में इस संबंध में प्रसारित आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने अनुचित मानकर उसे रद्द कर दिया था । किन्तु गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा प्रदत्त निर्णय को सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के द्वारा उचित नहीं माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने **'पर्यूषण पर्व'** के 9 दिनों में बूचड़खाने तथा मांस–मछली की दुकानों को बन्द रखे जाने वाले अहमदाबाद म्युनिसिपल कार्पोरेशन के निर्णय को ही उचित ठहराया था ।

सुप्रीम कोर्ट, बिहार, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ राज्य शासनों द्वारा प्रसारित आदेशों की सूचना एक ज्ञापन के साथ/माध्यम से आप तक प्रेषित की/कराई जा रही है । इन प्रमाणों के आधार पर आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, आपके जिले के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक आदि जनप्रतिनिधियों को समय रहते उन्हें ज्ञापन देकर/भेजकर जैन समाज की भावनाएँ प्रेषित करें ।

इसी के साथ आपसे यह भी अपेक्षा की जा रही है कि देश/प्रदेश के अन्य नगरों में स्थित अपने परिचित, रिश्तेदार, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी इस विवरण को अधिकाधिक पहुँचाएँ ताकि इस वर्ष के 'पर्यूषण पर्व' के दिनों तक शासन के द्वारा आदेश प्रसारित हो/ही जाएँ । इसके लिए स्थानीय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कलेक्टर, एस.डी.एम., तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानेदार आदि को ज्ञापन सौंपे एवं उसकी सूचना स्थानीय पत्रकारों, संवाददाताओं के द्वारा पत्र–पत्रिकाओं में समाचार प्रकाशित कराएँ, परस्पर में एस.एम.एस. एवं Email कर दूसरों तक जानकारी प्रेषित करें तथा विभिन्न टी.वी. चैनलों तक भी समाचार भिजवाएँ, ताकि उसे पढ़कर या सुनकर/देखकर अन्य स्थानों की जैन समाजों के द्वारा आपके सत्प्रयास से प्रेरणा पाकर अपने यहाँ भी वैसा प्रयास किया/कराया जा सके ।

इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य ही सूचित करें । तत्संबंधी उचित समाधानकारक सामग्री या सलाह प्रदान करने में हमें आत्मीय प्रसन्नता होगी । संभव हो तो आपके द्वारा इस संबंध में किये जा रहे/कराए गए प्रयास की जानकारी मुझे भी उपलब्ध कराएँ, ताकि उसके आधार पर आगे उचित कार्रवाई की/कराई जाने में सुगमता हो सके ।

भवदीय

नितिन कुमार जैन
अरिहंत कम्प्यूटर्स, न्यू गल्ला मंडी,
खरगापुर, 472 115, जिला– टीकमगढ, म.प्र.
मोबा. नं. 099932–85189
Email: nitin_jains@rediffmail.com
nitin_jains@yahoo.com